संजय तिवारी
बनाम
आर0 सी0 मिशन
नवाटांड

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक ....से .... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–~~लगान निर्धारण~~ अपील वाद संख्या –04/2017–18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कारवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
7/12/22		

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक संजय तिवारी, पिता–श्री विपिन बिहारी, ग्राम–नवाटांड माण्डर द्वारा न्यायालय उप समाहर्त्ता सदर, रांची के वाद संख्या–07/2017/टी0आर0. 640/2016–17 में पारित आदेश के विरूद्ध विविध अपील वाद दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
नवाटांड	121	101	505	4.17 डी0

अपीलकर्त्ता श्री संजय तिवारी, निवासी ग्राम–नवाटांड़, पो०–बिसहाखटंगा, थाना–माण्डर, जिला–राँची के द्वारा आर०सी० मिशन संत जॉन हाई स्कूल, नवाटांड़ के नाम से मौज़ा–नवाटांड़, थाना नं0–121. खाता सं0–101, प्लॉट नं०–505, रकबा 4.17 एकड़ भूमि की जमाबन्दी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक का कहना है कि पंजी में दाखिल खारिज बाद अंकित नहीं है। आर०सी० मिशन उक्त जमीन को खतियानी रैयत से किस प्रकार लिया। जमीन का खतियानी रैयत रीमा कुम्हार वल्द लोटा कुम्हार है, इसका नाम पंजी II में दर्ज नहीं है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, माण्डर द्वारा समर्पित राजस्व कर्मचारी से इसकी जाँच कराई जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा–नवाटांड़, थाना नं0–121, खाता सं0–101, प्लॉट नं0–505, रकबा 4.17 एकड़

किया जा रहा है, जिसे लोरेंस खुदी उरांव एवं अभीराम उरांव, पिता–लखना बरनावस उरांव द्वारा दिनांक 14.6.1952 को क्रियान्वित किया गया था। पंजी–11 में स्कूल प्रबंधन के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता ने दावा किया है कि उनके दादा, मंगल नाथ तिवारी ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 04.04.1952 को खतियान रैयत के पुत्रों से खरीदी थी, लेकिन आवेदक के दादा के नाम से पंजी–1 में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी कायम नहीं है। आवेदक द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व वर्ष 1952 में प्रश्नगत भूमि उनके दादा द्वारा खतियानी रैयत के पुत्रों द्वारा क्रय किये जाने का दावा किया गया है, इस स्थिति में भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी कायम की जानी थी तथा उनके दादा के पक्ष में जमीन्दारी रसीद भी भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत की जानी थी। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा आवेदक का दादा को रैयत माना चाहिए था तथा उनके नाम से जमीन की जमाबन्दी कायम कर उनके दादा के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लगान रसीद निर्गत की जानी चाहिए था, लेकिन इस मामले में आवेदक के दादा से न तो जमीन्दारी रसीद निर्गत की गई और न जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उनके दादा को रैयत माना गया एवं उनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं की गई। इस प्रकार आवेदक का दावा संदेहात्मक है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी पंजी–1 में एक लम्बे अर्से से कायम है।

बहस के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मौजा–नवाटाड खाता–101, प्लॉट नं0–505, रकबा–4.17 एकड़ भूमि आर0एस0 खतियान में रैयत रीक्षा कुम्हार बल्द लीटा कुमार के नाम कायमी दर्ज है। रीक्षा कुम्हार के पुत्र ने खुनु कुम्हार ने लहरू कुम्हार, राम कुम्हार एवं एक अन्य पुत्र ने दिनांक–04.04.1952 को उपरोक्त भूमि में मंगल नाथ तिवारी वल्द देवधन नाथ तिवारी को निबंधित पट्टा के द्वारा विक्रय किए तथा क्रेता उपरोक्त भूमि में सब्जी उगाते रहे है। यह भूमि खेवट नं0–04 से संबंधित है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विधालय के चाहर दिवारी के बाहर एक प्लॉट (लगभग 400 फीट दुरी पर) है। उपरोक्त भूमि का सरैंडर न तो

भूमि आर०सी० मिशन संत जॉन हाई स्कूल, नवाटांड़ के नाम से दर्ज है। जाँच के क्रम में स्कूल प्रबंधन से सम्पर्क कर उक्त कागजात के आधार पर दाखिल–खारिज स्वीकृति मिली और किस आधार पर प्राप्त की मांग की गई। स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो कागजात प्राप्त की गई है, वह अस्पष्ट है। खतियानी रैयत रीझा कुम्हार, पिता–लिटा कुम्हार खतियान में दर्ज है, जबकि स्कूल के द्वारा दी गई कागजात में स्व० लोरेंस उरांव, जाति उरांव से प्राप्त कागजात ही दी गयी है। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खतियानी रैयत से भूमि किस प्रकार प्राप्त की गई है।

निम्न न्यायालय द्वारा द्वितीय पक्ष, एवं आर०सी० मिशन संत जॉन हाई स्कूल, नवाटांड को नोटिस निर्गत कर उक्त भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गई। उनके द्वारा उक्त संबंधित खाता, प्लॉट एवं रकबा संबंधी हुकुमनामा वर्ष 1952 का कागजात प्रस्तुत किया गया है। हुकूमनामा कागजात में लोरेंश उरांव, खुदी उराव वो अभीराम उरांव वल्द बरनावस उरांव, जाति उरांव है हुकुमनामा वर्ष 1952 का आदिवासी जमीन है एवं 1932 का खतियान है। किन्तु LCR के अवलोकन से यह भी तथ्य प्राप्त होता है कि मौजा–नवाटांड़, थाना नं०–121 खाता सं0–101, प्लॉट नं0–505, रकबा 4.17 एकड़ भूमि आर०सी० मिशन संत जॉन हाई स्कूल, नवाटांड के नाम से पंजी–11 के भोल्यूम 10 में वर्ष 1975–76 से चल रहा है।

अतः जमाबन्दी रद्द करने हेतु इतने लम्बी अवधि के अंतराल में आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील नहीं करना संदेह उत्पन्न करता है।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि मौजा–नवाटांड़, थाना नं0–121, खाता सं0–101, प्लॉट नं०–505, रकबा 4.17 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान में रीझा कुम्हार के नाम से दर्ज है। आवेदक के दादा, मंगल नाथ तिवारी ने उक्त भूमि को दिनांक 04.04.1952 से खरीदी थी तथा जमीन क्रय करने के पश्चात् जमीन पर दखलकार हुआ। खतियानी रैयत रीझा कुम्हार के पुत्र, लहरू कुम्हार, खुनु कुम्हार राम कुम्हार, पिता–कपिल कुम्हार ने उक्त भूमि की के पश्चात् बिक्री की थी। आवेदक का आगे कहना है कि मंगल नाथ तिवारी जमीन पर दखलकार हुए एवं जमीन पर खेती करने लगे एवं उनके दादा के मृत्यु उनके उत्तराधिकारी जमीन पर दखलकार हुए। विपक्षी संख्या–02 स्कूल प्रबंधन द्वारा सादा हुकुमनामा द्वारा जमीन का दावा

जमीन्दार व अन्य किसी को खतियानी मालिक या इसके वंशजों ने नही किया हुआ है एवं वादग्रस्त भूमि आदीवासी खाता से किसी प्रकार के संबधित नहीं है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन से निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी आर०सी० मिशन संत जॉन हाई स्कूल के नाम से लम्बे अर्से से पंजी में कायम है। लम्बी अवधि से कायम जमाबन्दी को रदद करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। अपीलकर्त्ता को सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। इसी विवेचना के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो वह इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

07/1/22

अपर समाहर्त्ता
रॉंची।

07/1/22

अपर समाहर्त्ता,
रॉंची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:20:22 +05:30
Location: 192.168.2.175